चक्काजाम | पुनर्वास की आश्वासन के बाद लोग हुए शांत, विवेकानंद वार्ड में अतिक्रमणविरोधी कार्रवाई करने पहुंचे था अमला

आशियाने बचाने के लिए किया चक्काजाम

बुलडोजर आता देख भड़क उठे बस्ती वासी

नवभारत, जबलपुर। उखरी रोड स्थित विवेकानंद वार्ड में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम, जबलपुर विकास प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीम को शुक्रवार दोपहर उस समय विरोध का सामना करना पड़ा, जब बस्ती के सैकड़ों रहवासी सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। अचानक हुए विरोध के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

प्रशासन द्वारा पुनर्वास का आश्वासन दिए जाने और फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया

जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार केसरवानी शिक्षा समिति की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई शुरू होते ही बस्ती के लोग सड़क पर बैठ गए और पुनर्वास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला तथा लोगों से लगातार बातचीत की। विदित हो कि गत दिवस की टीम द्वारा शताब्दीपुरम इलाके में जमे अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया था और करोड़ों की जेडीए की जमीन को कब्जा मुक्त किया गया था।

मामले की सूचना मिलते ही उत्तर-मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन, जेडीए और केसरवानी समाज के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर बस्तीवासियों को पुनर्वास का भरोसा दिलाया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए किसी भी परिवार को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जेडीए के खाली पड़े ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में पात्र परिवारों को बसाने की तैयारी की जा रही है।

आशियाने के लिए आगे आये विधायक

विधायक अभिलाष पांडे ने स्पष्ट कहा कि बताया फ्लैट के लिए लगने वाली 20 हजार की पंजीयन राशि की व्यवस्था उनकी ओर से मुहैया कराई जाएगी। करीब 5.50 लाख कीमत वाले फ्लैट पात्र हितग्राहियों को लगभग 3.84 लाख की लागत पर उपलब्ध कराने और शेष राशि के लिए आसान किस्तों में वित्तीय व्यवस्था कराने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार से ही पात्र हितग्राहियों के आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। उधर पुलिस के अनुसार यह पूरी कार्रवाई म हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है। केसरवानी शिक्षा समिति की भूमि पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर निगम, जेडीए और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था।

विधायक ने लगाई जमकर फटकार

इस दौरान विधायक अभिलाष ने मौके पर मौजूद आमले को जमकर फटकार भी लगाई और कहा कि गर्मी निकल गई, ठंड निकल गई उस समय अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई और आज जब बारिश सिर पर है तो गरीबों की छत छीनी जा रही है। विधायक का लड़ा रुख देखकर कार्रवाई करने पहुंचे अमले ने अपने पैर पीछे किए और अपने आला अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी। इस मौके पर विधायक ने अमले को सख्त रुख के साथ ये भी कहा कि नौटंकी चल रही है यहां पर, बुलाओ जेडीए सीईओ को।। जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए।

सौ साल पुराने पनागर स्कूल के विलय पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

कलेक्टर के आदेश को चुनौती, 30 जुलाई तक सरकार से मांगे निर्देश

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने पनागर स्थित करीब सौ वर्ष पुराने शासकीय वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल का सिंगोद हायर सेकेंडरी स्कूल में विलय किए जाने के कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को कलेक्टर से निर्देश प्राप्त कर 30 जुलाई तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी नीलम श्रीवास्तव, जयसिंह खंगार व सोनीलाल प्रजापति की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पनागर नगर क्षेत्र के इस विद्यालय में लगभग 300 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कलेक्टर जबलपुर ने 14 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत विद्यालय का विलय सिंगोद हायर सेकेंडरी स्कूल में कर दिया है। याचिका में कहा गया कि सिंगोद लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में कक्षा छठवीं से 10 वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। अधिकतर विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं, जिनके अभिभावक बच्चों को इतनी दूर भेजने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही बच्चों के लिए प्रतिदिन इतनी लंबी यात्रा करना भी व्यावहारिक और सुरक्षित नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने शासन से निर्देश लेकर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

पति की मौत के 10 साल बाद रिकवरी पर कैट की रोक

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के न्यायिक सदस्य अखिल कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने रक्षा पेंशन से की जा रही 12.44 लाख रुपये की रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए विधवा पेंशनभोगी को राहत दी है। अधिकरण ने अगली सुनवाई तक पारिवारिक पेंशन से हर माह की जा रही 6,398 की कटौती स्थगित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार, रक्षा लेखा विभाग और संबंधित बैंक सहित पांच प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल जबलपुर निवासी आवेदिका आशा पिल्ले ने मूल आवेदन में बताया कि उनके पति स्व. चंद्रशेखर पिल्ले, जो गन कैरिज फैक्ट्री, जीसीएफ जबलपुर में कार्यरत थे। उनका 21 नवंबर 2015 को निधन हो गया था। इसके बाद उन्हें पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हुई। वर्ष 2022 में रक्षा लेखा विभाग ने कथित अतिरिक्त भुगतान का हवाला देते हुए 12,44,462 की रिकवरी का आदेश जारी किया और पेंशन से 6,398 प्रतिमाह की कटौती शुरू कर दी। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने तर्क दिया कि पति के निधन के वर्षों बाद विधवा पेंशन भोगी से इतनी बड़ी राशि की वसूली न्यायसंगत नहीं है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कैट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक यदि कोई रिकवरी की जा रही है तो उसे स्थगित रखा जाए। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को होगी।

त्रिमूर्ति नगर में गंदे पानी की सप्लाई, रहवासियों में आक्रोश

जबलपुर। शहर के त्रिमूर्ति नगर क्षेत्र में पिछले करीब एक माह से पेयजल आपूर्ति के साथ गंदा और बदबूदार पानी आने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि घरों के नलों से काले रंग का दूषित पानी निकल रहा है, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि दूषित पानी की वजह से क्षेत्र में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। रहवासियों ने नगर निगम अधिकारियों से कई बार शिकायत करने का दावा किया है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

उपलब्ध हो शुद्ध पेयजल

क्षेत्रवासियों का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने जल्द से जल्द दूषित जलापूर्ति बंद कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। नगर निगम की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

बेलगाम वाहन ने रौंदा, वृद्धा की मौत

नवभारत, जबलपुर। मझौली थाना अंतर्गत अमोदा में शुक्रवार सुबह सड़क किनारे टहल रही एक वृद्धा को अज्ञात वाहन चालक ने कुचल दिया। हादसे में वृद्धा की मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को रतनलाल रजक 52 वर्ष निवासी अमोदा ने सूचना दी कि सुबह लगभग 10 बजे उसकी मॉ श्याम बाई रजक 80 वर्ष घर से टहलने रोड किनारे किनारे जा रही थी तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन के चालक द्वारा तेजी गति लापरवाही से चलाते हुये मां को टक्कर मार दिया जिससे मां के सिर में चोटें आईं। जिन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल मझौली ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

18 लाख हड़पकर दूसरी महिला को बेची जमीन

बैंक के मैनेजर और जालसाज पर एफआईआर दर्ज

जबलपुर। जालसाज ने जमीन के नाम पर 18 लाख रुपये की मोटी रकम ऐंठने के बाद, वही जमीन किसी अन्य महिला के नाम रजिस्ट्री कर दी। इस पूरे खेल में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक बैंक मैनेजर की संलिप्तता भी उजागर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है ।

पुलिस के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कटनी के निवासी प्रकाश बजाज ने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करते हुए बताया कि उन्होंने ने सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी से दो अलग-अलग तारीखों पर जमीन खरीदने का सौदा किया था। पहला इकरारनामा ग्राम नैगवां स्थित खसरा नं. 159/1 की 0.44 हेक्टेयर जमीन का सौदा 8 लाख रुपये में हुआ। दूसरा इकरारनामा परसेल स्थित खसरा नं. 694 की 0.34 हेक्टेयर जमीन का सौदा भी 8 लाख रुपये में तय हुआ। इसके बाद आरोपी ने पैसों की जरूरत बताकर 4 लाख रुपये और लिए। पीड़ित प्रकाश बजाज ने कुल मिलाकर 18,00,000 रुपये का भुगतान चेक और नगद के जरिए आरोपी को कर दिया, जिसकी बाकायदा लिखित पावती भी इकरारनामे के पीछे दर्ज है। पूरी रकम वसूलने के बाद जब प्रकाश बजाज ने आरोपी से जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम करने का दबाव बनाया, तो आरोपी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने असली रंग में आ गया।

आरोपी ने रजिस्ट्री करने से साफ मना कर दिया और पीड़ित को झूठे केस में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने रौब झाड़ते हुए कहा कि मेरा भाई कटनी पुलिस में है, तुम्हें झूठे केस के अंदर करवा दूंगा।

रजिस्ट्रार दफ्तर से खुला जालसाजी का राज

जब पीड़ित ने जमीन के रिकॉर्ड खंगाले। रजिस्ट्रार कार्यालय से जो दस्तावेज निकलकर सामने आए, उसने पीड़ित के होश उड़ा दिए। जालसाज सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने प्रकाश बजाज से पूरे पैसे लेने के बावजूद, दोनों जमीनें धोखे से जमुना प्रजापति निवासी मकान नं. 129, उमरिया रोड, सिहोरा के नाम पर रजिस्टर्ड कर दी थीं ।जांच में पाया गया कि आरोपी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कूम्ही/सतधारा के तत्कालीन बैंक मैनेजर बृज लाल प्रजापति मिलकर धोखाधड़ी की है । यह गिरोह क्षेत्र के भोले-भाले किसानों और आम जनता को किसान क्रेडिट कार्ड खाता धारकों के खातों में बकाया राशि जमा करने, लोन सेटलमेंट कराने और खातों में ज्यादा पैसा डालकर भारी मुनाफे का लालच देता था। बैंक मैनेजर पद का दुरुपयोग करते हुए बृज लाल प्रजापति ने प्रकाश बजाज को अपने झांसे में लिया और सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी पर भरोसा करवाया, जिसके कारण पीड़ित ठगी का शिकार हो गया।

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव दोबारा होने से प्रत्याशियों पर बढ़ा बोझ

जबलपुर। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव निरस्त होने के बाद अब 28 जुलाई को दोबारा मतदान और 29 जुलाई को मतगणना होगी। नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव दोबारा होने से मैदान में उतरे प्रत्याशियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, खासकर उन अधिवक्ताओं के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। चुनावी परंपराओं के तहत समर्थकों और मतदाता अधिवक्ताओं की आवभगत, बैठकों और अन्य आयोजनों का खर्च दोबारा उठाना पड़ रहा है। बार परिसर में इस बात की भी चर्चा है कि अगले तीन दिनों तक मतदाता अधिवक्ताओं की पूछ-परख चरम पर रहेगी और विभिन्न प्रत्याशी उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए लगातार संपर्क साधेंगे। चुनाव निरस्त होने के कारणों को लेकर भी अधिवक्ता समुदाय में चर्चाओं का दौर जारी है।

इशारों इशारों में साधा निशाना

पहले चुनाव के निर्वाचन अधिकारी रहे जी.एस. ठाकुर पर कई तरह के आरोप लगाए गए, जबकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इशारों-इशारों में अपने विरोधियों पर निशाना साधा।

बार परिसर में यह भी चर्चा है कि कुछ प्रत्याशियों और समूहों के बीच चुनावी समीकरण बदले और मतदान के दौरान हुए विवाद के पीछे अलग-अलग लॉबियों की भूमिका रही। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पूरे मामले को लेकर अभी केवल चर्चाओं और कयासों का दौर जारी है। सूत्रों के अनुसार, चुनाव टलने के पीछे स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर बनी परिस्थितियों को भी एक कारण माना जा रहा है।

अब 29 को होगा फैसला

चर्चा है कि संविधान संशोधन के प्रावधानों के कारण जिला बार और स्टेट बार के पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने को लेकर कुछ वर्गों में असहमति थी। इसी वजह से एक लॉबी जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव टालने के पक्ष में थी। फिलहाल इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सबकी निगाहें 28 जुलाई को होने वाले पुनर्मतदान और 29 जुलाई को आने वाले परिणामों पर टिकी हैं, जो जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी की तस्वीर साफ करेंगे।

लावारिस बैग में मिली लाइसेंसी बंदूक, जांच के बाद लौटाया सामान

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-6 पर गुरुवार रात लावारिस बैग मिलने से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। सूचना पर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और गवाहों की मौजूदगी में बैग की तलाशी ली। बैग से 12 बोर की एक लाइसेंसी एकनाली बंदूक, दो जिंदा कारतूस, गन साफ करने का सामान, मोबाइल फोन, घड़ी, कपड़े और अन्य सामान बरामद हुआ। आरपीएफ ने पंचनामा तैयार कर बैग के मालिक की तलाश शुरू की ।बैग में मिले आधार कार्ड और डायरी में दर्ज मोबाइल नंबर के आधार पर मालिक की पहचान भगत सिंह तोमर (42), निवासी कोंथर कला, जिला मुरैना के रूप में हुई, जो जीआरएम कंपनी, बिलपठार में सुरक्षा गार्ड है। पूछताछ में उसने बताया कि ग्वालियर जाते समय नशे की हालत में वह बैग प्लेटफॉर्म पर ही भूल गया था ।आरपीएफ ने उसके शस्त्र लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया, जो वैध पाए गए ।इसके बाद करीब 80 हजार रुपये मूल्य का बैग, लाइसेंसी बंदूक, कारतूस और अन्य सामान नियमानुसार उसे वापस सौंप दिया।

नदी में डूबने से युवक की मौत

पैर फिसलने से हुआ हादसा

नवभारत, जबलपुर। मझौली थाना अंतर्गत कटाव नदी में पैर फिसलने से एक युवक डूब गया। शुक्रवार को शव बरामद किया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को संजय सिंह गौंड़ 40 वर्ष निवासी निवासी सुनकड़ थाना जबेरा ने सूचना दी गुरूवार शाम लगभग 4 बजे उसका भतीजा रामप्रसाद उर्फ छुट्टू घर का सामान लेने के लिये घर से रानीताल जाने की कहकर गया था, जो शाम लगभग 6 बजे घर वापस नहीं आया जिसकी तलाश की जो कटाव धाम जाकर आसपास के पास लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि एक लड़का अपनी गाड़ी के उपर खड़ी करके नीचे कटाव नदी के चट्टान पर बैठा था शाम लगभग 7 बजे नदी से वापस आते समय पैर फिसलने से नदी में गिर गया। रात में तलाशी के दौरान भतीजा नहीं मिला। शुक्रवार सुबह लगभग 11-30 बजे तलाश करते समय कार नदी में उसका भतीजे का शव रामप्रसाद उर्फ छुट्टू सिंह गौंड़ 20 वर्ष का शव मिला।

सड़क दुर्घटना मामले में 1.05 करोड़ रुपये का मुआवजा

समझौते के आधार पर मिली बड़ी राहत

जबलपुर। अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मृतक आनंद कुमार राय के स्वजनों को समझौते के आधार पर एक करोड़ पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है। सदस्य अनिल चौहान ने पारित आदेश में बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह दो माह के भीतर पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा अवार्ड की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।

बरगी जबलपुर निवासी आवेदकों की ओर से अधिवक्ता अर्जुन साहू तथा बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता अर्पणा विज ने पक्ष रखा। आदेश के अनुसार मृतक की पत्नी शीतल राय को मुआवजा राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जिसमें आधी राशि नकद व शेष पांच वर्ष की एफडीआर में जमा की जाएगी। दोनों नाबालिग बच्चों आयुष्मान राय और अहान राय को 20-20 प्रतिशत राशि उनके वयस्क होने तक एफडीआर में सुरक्षित रखी जाएगी। मृतक की माता सुमन राय और पिता किशोरी लाल राय को पांच-पांच प्रतिशत राशि नकद प्रदान की जाएगी। अधिकरण ने आवेदकों को 15 दिन के भीतर बैंक खाते का विवरण और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बीमा कंपनी को राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में आरटीजीएएस या एनईएफटी के माध्यम से जमा करने व एमएसीटी डैशबोर्ड पर भुगतान का विवरण अपलोड करने का भी आदेश दिया है।

खाद्य विभाग की दबिश लिए गए नमूने

जबलपुर। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने करोंदानाला स्थित डेयरी नर्मदा अमृत फूड प्रा लिमिटेड में दबिश दी और यहां निर्मित दूध, पनीर, दही, घी के नमूने परीक्षण के लिए लिये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने बताया कि प्राप्त शिकायत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार को ही छठवीं बटालियन के हॉस्टल का भी निरीक्षण किया तथा दाल, चावल, मसाले, पकी हुई दाल,कढ़ी वगैरह के 8 सैंपल जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण में खाद्य पदार्थों के लिये गए नमूने परीक्षण के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जा रहे हे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

लक्ष्मीपुर-संजय नगर अतिक्रमण हटाने पर अंतरिम रोक

विजय नगर एमआर-4 का मामला अगली सुनवाई सोमवार को

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी ने एमआर फोर लक्ष्मीपुर-संजय नगर क्षेत्र में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी निवासी का बिजली कनेक्शन काटा गया है तो उसे तत्काल बहाल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी ।मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रविंद्र कुमार गुप्ता ने करीब 22 पट्टाधारी निवासियों की ओर से हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि संबंधित परिवारों को वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 के तहत 30 वर्ष के पट्टे दिए गए थे, जिनकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि क्षेत्र में लगभग 400 परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं तथा नगर निगम को कर अदा करने के साथ बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आवेदकों ने तर्क दिया कि बेदखली के बजाय शासन की आवासीय योजनाओं के तहत उन्हें नियमित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि केसरवानी शिक्षा समिति द्वारा भूमि पर अधिकार का दावा करते हुए दायर याचिका में यह अंतरिम आदेश पारित किया गया।

पेज तीन का शेष

करंट की चपेट में आने से......

बहू को तड़पता देख ससुर कृष्णकुमार दुबे बिना सोचे-समझे उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन करंट इतना खतरनाक था कि वे भी उसकी चपेट में आ गए. आंगन से आ रही चीख-पुकार और शोर सुनकर कृष्णकुमार का बेटा मुकेश दुबे (35) भी भागकर वहां पहुंचा. मयूरी और अपने पिता को करंट से छटपटाते देख मुकेश ने उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया, जिससे वह खुद भी करंट की जद में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया. इस दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग कृष्णकुमार दुबे और उनकी बहू मयूरी दुबे की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई. आनन-फानन में मुकेश दुबे को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा है.

पेज एक का शेष

पत्नी और सौतेली पुत्री को ......

इसके बाद दोनों में फिर से विवाद हुआ तो रामजी ने अपने पत्नी पर बका से ताबडतोड हमला करना प्रारंभ कर दिया. सौतेली बेटी ने बीच बचाव किया तो आरोपी ने उस पर भी बके से हमला कर दिया. बका के प्रहार से महिला को कान, सिर, गले व दाई ओर सिर में, दाई बांह में चोट आई थी. सौतेली बेटी को सिर में चोट आई थी. दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया था. डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया था. सौतेली बेटी की उपचार के दौरान मौत हो गयी. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सौतेले बेटे तथा अन्य गवाहो के बयान के आधार पर प्रकरण को क्रूर से कूरतम मानने हुए आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया है.

यश हायर सेकेण्डरी स्कूल

CBSE/ICSE से MP BOARD में एडमिशन पर,उठायें सरकारी योजना का लाभ। बोर्ड एग्जाम का %बढ़ाऐं, समय बचाएं NEET/IIT में एडमिशन गाइडेंस। English & Hindi Medium | Office- 8 to 4

Nursery, LKG, UKG, Admission, Book Uniform Fee

इस वर्ष हमारे 40 बच्चों ने लेपटॉप योजना में पाया 10 लाख का फायदा

नोट- हमारे प्रयास से श्रेष्ठ बच्चों के साथ-साथ कमजोर बच्चें भी बेहत्तर रिजल्ट लाकर दिखाते है। इसलिए हम देते है बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम।

सीधे 10वीं, 12वीं, कॉलेज प्राइवेट/रेग्यूलर फार्म भरने की सुविधा

अधारताल तिहारा- 9303580611,9131455600 अमखेरा रोड, गोहलपुर 9111009016

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57